


समय-जगते

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY.

सं. 78]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 22, 2013/चैत्र 1, 1935

No. 78]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 22, 2013/CHAITRA 1, 1935

प्रसार भारती

(भारतीय प्रसारण निगम)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 मार्च, 2013

सं.-एन-10/5/2013-पीपीसी.—प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम, 1990 (1990 का 25) की धारा 33 की उप-धारा (2) के खंड (घ) के साथ पठित धारा 9 और धारा 11 की उप-धारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) (वरिष्ठ कार्यक्रम पद) सेवा विनियम, 2002 का अधिक्रमण करते हुए, इस अधिक्रमण से पूर्व किए गए या छोड़े गए कार्यों के अतिरिक्त, प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) केंद्र सरकार के पूर्व-अनुमोदन से निम्नलिखित विनियम बनाता है अर्थात:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ – (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) कार्यक्रम निष्पादक भर्ती विनियम, 2013 है।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
2. पद संख्या, पे बैंड और ग्रेड पे या वेतनमान – उक्त पद की संख्या, इसका वर्गीकरण, इनका पे बैंड और ग्रेड पे या वेतनमान वह होगा जो इन विनियमों की संलग्न अनुसूची के कालम 2 से 4 में विनिर्दिष्ट हैं।
3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि – उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के कालम 5 से 12 में विनिर्दिष्ट हैं।
4. वरिष्ठता – इन विनियमों के अंतर्गत भर्ती होने वाले कार्यक्रम निष्पादक की पारस्परिक वरिष्ठता कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा समय-समय पर जारी सामान्य अनुदेशों के अनुसार होगी।

5. निरहता - वह व्यक्ति —

- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या,
 (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,
 उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि निगम का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस विनियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।

6. नैमित्तिक कर्मियों के लिए आयु में छूट - कार्यक्रम निष्पादक का कार्य निष्पादन करने वाले आकाशवाणी और दूरदर्शन के स्टेशनों या केंद्रों में कार्यरत नैमित्तिक कर्मियों को कार्यक्रम निष्पादक के रूप में उनकी नैमित्तिक आधार पर की गई सेवा अवधि तक सीधी भर्ती में आयु सीमा में छूट दी जाएगी:

बशर्त एक कैलेंडर वर्ष में कम से कम एक सौ बीस दिनों की सेवा को एक वर्ष की सेवा के रूप में गिना जाएगा।

स्पष्टीकरण - एतद्वारा स्पष्ट किया जाता है कि इस विनियम के उद्देश्य के लिए की गई सेवा सीमा के निर्धारण हेतु नैमित्तिक आधार पर कार्यक्रम निष्पादक के रूप में एक कैलेंडर वर्ष में एक सौ बीस दिन की न्यूनतम कुल अवधि के लिए अनुबंध को एक वर्ष गिना जाएगा और एक कैलेंडर वर्ष में एक सौ बीस दिन की अवधि से कम अनुबंध को इस आयु छूट के योग्य नहीं माना जाएगा।

7. छूट देने की शक्ति - जहां निगम की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके और केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन और प्रसार भारती भर्ती बोर्ड से परामर्श करके, इन विनियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा छूट दे सकेगा।

8. व्यावृत्ति - सरकार द्वारा समय-समय पर जारी जिन आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है, उनसे संबंधित आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर इन विनियमों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

| पद का नाम | पद संख्या | वर्गीकरण | पें बैंड और ग्रेड पे या वेतनमान | क्या चयन पद है या गैर चयन पद | सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा |
|--------------------|--|------------|--|------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| कार्यक्रम निष्पादक | 1624* (2013) * पदों में परिवर्तन कार्य मात्रा के अधीन होगा। टिप्पणी : प्रत्येक ग्रेड में पदों की संख्या उस ग्रेड के लिए स्वीकृत पदों की कुल संख्या होनी चाहिए और | ग्रुप 'बी' | पें बैंड-2 (रू.9300-34800 और रू.4600 ग्रेड पे | चयन पद | 30 वर्ष से अधिक नहीं (प्रसार भारती के कर्मचारियों को 5 वर्ष की छूट और नियम 6 के अनुसार)। टिप्पणी: आयु-सीमा निर्धारित करने की निर्णायक तारीख भारत के अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (परंतु वे अंतिम तारीख जो कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लद्दाख, जम्मू और कश्मीर राज्य के प्रभाग, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले और चम्बा जिले के पांगी उप प्रभाग, संघ शासित क्षेत्र अण्डमान |

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| किसी भी समय निगम में प्रतिनियुक्तिवत सरकारी कर्मचारियों और निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों की कुल संख्या से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। | | | | और निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित नहीं होगी।) |
|---|--|--|--|--|

| सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य योग्यताएं | सीधी भर्ती के लिए विनिर्दिष्ट आयु और शैक्षिक योग्यताएं क्या पदोन्नति के मामले में लागू होती हैं | परिवीक्षा अवधि | भर्ती की पद्धति चाहे सीधी भर्ती से या पदोन्नति से या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों से रिक्तियों को भरने का प्रतिशत | पदोन्नति प्रतिनियुक्ति/ आमेलन ग्रेड जिससे पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाना है, ऐसी भर्ती के संबंध में। | यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है, तो उसकी संरचना? |
|--|---|----------------|--|---|--|
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| अनिवार्य: (क) मान्यता-प्राप्त विश्व-विद्यालय से कला या विज्ञान में स्नातकोत्तर और रिक्ति से संबंधित भाषा में दक्षता। या (ख) (क) मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विधा में स्नातक डिग्री; और | लागू नहीं | दो वर्ष | (i) 50% पदोन्नति द्वारा (ii) 50% सीधी भर्ती द्वारा टिप्पणी: प्रत्येक ग्रेड में किसी विशेष वर्ष में उत्पन्न रिक्तियां (सीधी भर्ती पदों के अलावा अन्य) फीडर ग्रेड में कर्मचारियों के दो वर्गों द्वारा भरी जाएंगी अर्थात् निगम द्वारा अधिसूचित किए निगम के प्रतिनियुक्तिवत सरकारी कर्मचारी और निगम के अधिकारी व कर्मचारी। | प्रसारण निष्पादक (सामान्य और प्रस्तुति), प्रसारण निष्पादक (आलेख), प्रसारण निष्पादक (कृषि एवं गृह)/(फार्म रेडियो रिपोर्टर), प्रसारण निष्पादक (विज्ञान रिपोर्टिंग), प्रसारण निष्पादक (जनजातीय बोली/अनुवाद) प्रसारण निष्पादक (विदेशी भाषा), प्रसारण निष्पादक (प्रस्तुति सहायक), प्रसारण निष्पादक | पदोन्नति कि लिए विभागीय पदोन्नति समिति 1. प्रसार भारती भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष या सदस्य: अध्यक्ष; 2. उप- महानिदेशक (कार्यक्रम) आकाशवाणी : सदस्य; 3. उप- महानिदेशक (कार्यक्रम) दूरदर्शन : सदस्य; 4. उप- महानिदेशक (प्रशासन), आकाशवाणी: सदस्य स्थायीकरण के लिए |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| <p>(i) नाट्य कला या निर्देशन या सिनेमेटोग्राफी या साउंड रिकार्डिंग और साउंड डिजाइन या एडिटिंग या एक्टिंग या कला निर्देशन और डिजाइन प्रस्तुति में कम से कम दो वर्ष की अवधि का नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, नई दिल्ली; या फिल्म और टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, पुणे या किसी अन्य मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से ड्रामा या फिल्म या टी.वी. से संबंधित; या</p> <p>(ii) मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से कम से कम दो वर्ष की अवधि का संगीत में</p> | | | | <p>(शैक्षिक प्रसारण) या प्रसारण निष्पादक (परिवार कल्याण) जिसने ग्रेड में 5 वर्षों की नियमित सेवा पूरी कर ली हो। टिप्पणी : जहां कनिष्ठ कर्मियों ने अपनी योग्यता/अर्हता सेवा पूर्ण कर ली है, उनकी पदोन्नति पर विचार किया जाएगा। उनके वरिष्ठ भी उच्च पद पर पदोन्नति के पात्र हैं बशर्ते उनकी अपेक्षित अर्हता/ योग्यता सेवा, इन अर्हता/ योग्यता सेवा की आधी से ज्यादा हो या 2 वर्ष जो भी कम हो और अगले उच्च ग्रेड की पदोन्नति के लिए परिवीक्षावधि सफलतापूर्वक पूरी हो गई हो जिसमें उनके कनिष्ठ भी शामिल हैं जिन्होंने अर्हता/ योग्यता सेवा पहले ही प्राप्त कर ली है।</p> | <p><u>विभागीय पदोन्नति समिति</u> 1. महा-निदेशक, आकाशवाणी : अध्यक्ष; 2. उप- महानिदेशक (कार्यक्रम) आकाशवाणी : सदस्य; 3. उप- महानिदेशक (कार्यक्रम) दूरदर्शन : सदस्य; 4. उप- महानिदेशक (प्रशासन), आकाशवाणी: सदस्य।</p> |
|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| <p>डिप्लोमा; या (iii) गायन या वादक के रूप में आकाशवाणी पर प्रसारण के लिए कम से कम 'बी' उच्च ग्रेडिंग; या (iv)मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से पत्रकारिता में कम से कम दो वर्ष की अवधि का डिप्लोमा; या (v) लोक या जनजातीय संगीत पर अनुसंधान प्रकाशन, या सुगम संगीत बनाने में दक्षता सहित ऐसे संगीत को फिल्म या प्रसारण संगठन या म्यूजिक रिकार्डिंग कंपनी द्वारा स्वीकृत साक्ष्य के साथ। (ख) रिक्रि से संबंधित भाषा में दक्षता।</p> | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| <p>टिप्पणी: संबंधित भाषा में दक्षता का अर्थ यह है कि अभ्यर्थी ने वह भाषा दसवीं कक्षा तक पढ़ी हो।</p> <p><u>वांछनीय:</u></p> <p>(1) कोई भी प्रकाशन या रिकार्ड साहित्य, नाट्यकला, वाद-विवाद या पापुलर साइंस से संबंधित गतिविधियां।</p> <p>(2) कम्प्यूटर और सामाजिक मीडिया के उपयोग में दक्षता।</p> | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|

बिग्रेडियर (अव.प्राप्त) वी.ए.एम. हुसैन, सदस्य (कार्मिक)

[विज्ञापन III/4/असाधारण/163/12]

**PRASAR BHARATI
(BROADCASTING CORPORATION OF INDIA)
NOTIFICATION**

New Delhi, the 20th March, 2013

No. N-10/5/2013- PPC.—In exercise of the powers conferred by section 9 and sub-section (5) of section 11 read with clause (d) of sub-section (2) of section 33 of the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) Act, 1990 (25 of 1990), and in supersession of the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) (Senior Programme Posts) Recruitment Regulations, 2002, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India), with the prior approval of the Central Government, hereby makes the following regulations, namely:-

1. Short title and commencement.—(1) These regulations may be called the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) Programme Executive Recruitment Regulations, 2013.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, Pay Band and Grade Pay or Pay scale.—The number of the said post, its classification, Pay Band and Grade Pay or Pay Scale attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these regulations.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns 5 to 12 of the said Schedule.

4. Seniority.—The inter-se seniority of Programme Executives who are appointed under these regulations shall be in accordance with the general instructions issued by the Department of Personnel and Training from time to time.

5. Disqualification - No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Corporation may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage, and that there are grounds for so doing, exempt any person from the operation of this regulation.

6. Age relaxation for casual assignees.—The casual assignees working in Stations or Kendras of All India Radio and Doordarshan performing the duties of Program Executive shall be eligible for relaxation of age for direct recruitment to the extent of their services rendered as Programme Executive on casual basis:

Provided that a minimum of one hundred and twenty days service in a calendar year shall be reckoned as one year service.

Explanation — It is hereby clarified that for determining the extent of service rendered for the purpose of this regulation, engagement for a total minimum period of one hundred and twenty days in one calendar year as Programme Executive on casual basis shall be taken as one year and their engagement for less than one hundred and twenty days in a calendar year shall not qualify for such age relaxation.

7. Power to relax.—Where the Corporation is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Prasar Bharati Recruitment Board and with the prior approval of the Central Government, relax any of the provisions of these regulations with respect to any class or category of persons.

8. Saving.—Nothing in these regulations shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for persons belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

| Name of the post | Number of posts | Classi- - fication | Pay Band and Grade Pay or Pay Scale | Whether selection post or non-selection post | Age limit for direct recruits | Educational and other qualifications required for direct recruits |
|----------------------|---|--------------------------|---|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Programme Executive. | 1624* (2013) *subject to variation dependent on the workload. Note: The number of posts in each grade is the total number of the posts sanctioned for that grade and at | Group 'B' | PB-2 : (Rs.93 00 – 34,800) and grade pay Rs. 4600/- | Selection Post | Not exceeding 30 years. (Relaxable for employees of Prasar Bharati up to five years and as per rule 6) Note: The crucial date for determining the age limit shall be the | Essential: A. Master's Degree in Arts or Science from a recognized University and proficiency in the language relevant to the vacancy; or B. (a) Bachelor's Degree in any discipline from a recognized University; and (i) Diploma of at least two years duration in Dramatic arts or Direction or Cinematography or Sound Recording and Sound Design or Editing or Acting or Art Direction and Production Design from National School of Drama, New Delhi or Film and |

1208(GI)3-3

| | | | | | |
|--|--|--|--|---|---|
| | any time, it shall not exceed the aggregate number of posts occupied by the Government servants on deemed deputation to the Corporation and the officers and employees of the Corporation. | | | closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir state, Lahaul and Spiti District and Pangi sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh and Union territory of Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep). | <p>Television Institute of India, Pune or any other recognized University or Institute engaged in the field of drama or film or television; or</p> <p>(ii) Diploma in music of at least two years duration from a recognized University or Institute; or</p> <p>(iii) Minimum grading of 'B' High as vocalist or instrumentalist by All India Radio; or</p> <p>(iv) Diploma of at least two years duration in Journalism from a recognized University or Institute; or</p> <p>(v) Research publication on folk or tribal music or proficiency in composing light music with evidence of such music having been accepted by film or broadcasting organization or music recording company;</p> <p>(b) Proficiency in the language relevant to the vacancy.</p> <p>Note: Proficiency in the relevant language means that a candidate must have studied in that language up to Matriculation.</p> <p>Desirable:</p> <ol style="list-style-type: none"> Any publication or record showing activities relating to literary, dramatics, debate or popular science. Proficiency in the use of computers and social media. |
|--|--|--|--|---|---|

| Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees | Period of probation, if any | Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods |
|---|-----------------------------|--|
| 8 | 9 | 10 |
| Not applicable. | Two years. | i) Fifty percent by promotion; ii) Fifty percent by direct recruitment. Note: The vacancies arising in a particular year in each grade (other than the direct recruitment posts) be filled up by two categories of employees in the feeder grades, i.e. the Government servants on deemed deputation to the Corporation and the officers and employees of the |

| Corporation, as may be notified by the Corporation. | |
|---|---|
| In case of recruitment by promotion or deputation/absorption grades from which promotion or deputation/absorption to be made | If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition? |
| 11 | 12 |
| <p>Transmission Executive (General and Production), Transmission Executive (Scripts), Transmission Executive (Farm and Home)/(Farm Radio Reporter), Transmission Executive (Science Reporting), Transmission Executive (Tribal Dialect/Translation), Transmission Executive (Foreign Language), Transmission Executive (Production Assistant), Transmission Executive (Educational Broadcast) or Transmission Executive (Family Welfare) with five years regular service in the grade.</p> <p>Note: Where juniors who have completed their qualifying/ eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/ eligibility service by more than half of such qualifying/ eligibility service or two years, which ever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/ eligibility service.</p> | <p>Departmental Promotion Committee for promotion:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Chairperson or Member of Prasar Bharati Recruitment Board: Chairperson; 2. Deputy Director General (Programme), All India Radio: Member; 3. Deputy Director General (Programme), Doordarshan: Member; 4. Deputy Director General (Administration), All India Radio: Member. <p>Departmental Promotion Committee for confirmation:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Director General, All India Radio: Chairman; 2. Deputy Director General (Programme), All India Radio: —Member; 3. Deputy Director General (Programme), Doordarshan: Member; 4. Deputy Director General (Administration), All India Radio: —Member. |

Brig (Retd.) V.A.M. HUSSAIN, Member (Personnel)
[ADVT III/4/Exty./163/12]